निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1942 (श0)

(सं0 पटना 179) पटना, बृहस्पतिवार 18 मार्च 2021

सूचना एंव जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

18 मार्च 2021

सं0 विज्ञा0(04)01–03/2020–79/सू0ज0स0वि0—बिहार विज्ञापन नियमावली–2016 की कंडिका–7(IV) i जो निम्नवत् है :–

"ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाईट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की नहीं होगी।"

उसे निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता हैं :–

"ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाईट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की नहीं होगी। **साथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटरनेट वेबसाईट्स जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्व नही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय हैं, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचीबद्व करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।**"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनुपम कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 179-571+10 डी0टी0पी0।

**Website: http://egazette.bih.nic.in**